मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 16–1761/2009/बी–1/दो, **भोपाल, दिनांक** 19/01/2011

प्रति,

समस्त संभागायुक्त/
समस्त जिलादंडाधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश के आर्म्स डीलरों के संबंध में पर्यवेक्षण।

संदर्भः–विभाग का परिपत्र कमांक 1774/93/बी(1)/दो, दिनांक 23.03.93 एवं आदेश क्र. एफ–16–255/2003/बी–1/दो,दिनांक 01.09.03 एवं एफ–16–885/2002/बी–1/दो, दिनांक 07/10/2002

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र/आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं अन्य राज्यों में शस्त्र विक्रेताओं द्वारा असामाजिक तत्वों को शस्त्र एवं कारतूस विक्रय किये गये। इसी तारतम्य में उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में कुछ संदेहास्पदों को गिरफ्तार किया गया है।

02. विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.03.93 के बिन्दु 2 एवं 5 के अनुसार अधीनस्थ जिले के आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों के दुकानों, संधारित रजिस्टरों, अभिलेख एवं स्टाक का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष आवश्यक रूप से किये जाने का लेख है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.10.2002 एवं 01.09.2003 में स्पष्ट लेख है कि लायसेंस कारतूस के विक्रय के समय पुराने प्रदत्त कारतूसों के खोखे अनिवार्यतः जमा कराये जाये।

03 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिला दंडाधिकारी उत्तर प्रदेश में हुई गंभीर घटना को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ जिले की समस्त दुकानों का 03 माह में निरीक्षण पूर्ण कर प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार गृह विभाग को भेजे।

04. इसी प्रकार का एक अन्य संदर्भित आदेश दि. 01.09.03 के बिन्दु 13 में संभाग स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल की एक समिति गठित किये जाने का लेख है। इस आदेश में स्वय अथवा अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मनोनीत करके आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से कर निरीक्षण प्रतिवेदन/अनिमियताओं के संबंध में यदि कोई तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होते है तो शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियम, 1962 के अंतर्गत त्रृटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। अतः संभागीय समिति द्वारा भी वर्ष 2011 में आकस्मिक निरीक्षण, कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार.

19/1/2011
(आर.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

SR30122010

आर्म्स डीलर लायसेंस हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

जिला :.. **दिनांक: ....**

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद : ....

1. आर्म्स डीलर का नाम/पता :..
....
2. प्रोपराइटर का नाम/पता :..
3. लायसेंस स्वीकृति दिनांक व आदेश :..
4. नवीनीकरण की स्थिति (कब से कब तक) :..
5. कौन से प्रपत्र में स्वीकृत :**प्रपत्र–11/ प्रपत्र–12/ प्रपत्र–13/ प्रपत्र–14**
6. पूर्व निरीक्षण के संबंध में
   (अ) निरीक्षण दिनांक :..
   (ब) अधिकारी का नाम एवं पद :..
   (स) रिमार्क (क्या पाया) :..
7. (अ) दुकान का भौतिक सत्यापन पर दुकान नक्शानुसार उसी स्थल पर स्थित है अथवा नहीं ? :..
....
   (ब) दुकान सुरक्षित है या नही ? :..
8. (अ) संधारित रजिस्टरों की संख्या व नाम :..
   (ब) दुकान पर संधारित रजिस्टरों का भौतिक सत्यापन पर पाई गई स्थिति :..
9. **प्रपत्र 12–क्रय विक्रय की जानकारी–**

(1) फर्म से फर्म का क्रय/विक्रय विवरण (शस्त्र) –

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	पूर्व निरीक्षण दिनांक से वर्तमान निरीक्षण दिनांक तक **क्रय**			**योग (2+4)**	निरीक्षण दिनांक तक **विक्रय**		निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	रिमार्क
		दिनांक	संख्या	किस फेक्ट्री से खरीदा गया		दिनांक	विक्रय संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(2) फर्म से फर्म का क्रय/विक्रय विवरण (कारतूस) –

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	पूर्व निरीक्षण दिनांक से वर्तमान निरीक्षण दिनांक तक **क्रय**			**योग (2+4)**	निरीक्षण दिनांक तक **विक्रय**			निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	रिमार्क
		दिनांक	संख्या	किस फेक्ट्री से खरीदा गया		दिनांक	विक्रय की संख्या	खाली खाखे जमा संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(3) शस्त्र लायसेंसधारियों का क्रय/विक्रय विवरण (शस्त्र) –

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	पूर्व निरीक्षण दिनांक से वर्तमान निरीक्षण दिनांक तक **क्रय**			योग (2+4)	निरीक्षण दिनांक तक **विक्रय**		निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	रिमार्क
		दिनांक	संख्या	किस फेक्ट्री से खरीदा गया		दिनांक	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(4) शस्त्र लायसेंसधारियों का क्रय/विक्रय विवरण (कारतूस) –

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	पूर्व निरीक्षण दिनांक से वर्तमान निरीक्षण दिनांक तक **क्रय**			योग (2+4)	निरीक्षण दिनांक तक **विक्रय**			निरीक्षण दिनांक को शेष स्टॉक	रिमार्क
		दिनांक	संख्या	किस फेक्ट्री से खरीदा गया		दिनांक	विक्रय की संख्या	खाली खाखे जमा संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11. **प्रपत्र 11–<u>मरम्मत के संबंध में –</u>**

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक से निरीक्षण दिनांक मरम्मत हेतु शस्त्र जमा की संख्या	निरीक्षण दिनांक तक मरम्मत शस्त्र की संख्या	शेष (2–3)	रिमार्क
1	2	3	4	5

12. **प्रपत्र 14–<u>सेफ कस्टडी के संबंध में –</u>**

शस्त्र का प्रकार	पूर्व निरीक्षण दिनांक से निरीक्षण दिनांक शस्त्र जमा की संख्या	निरीक्षण दिनांक तक वापिस किये शस्त्र की संख्या	शेष (2–3)	रिमार्क
1	2	3	4	5

13. क्या अनिवार्य रूप से विक्रय के समय खाली खोखे जमा किये गये ? :...

14. अन्य विवरण हो तो

प्रोपराइयटर
(हस्ताक्षर/सील)

निरीक्षणकर्ता अधिकारी
(हस्ताक्षर/सील)